10/11/2025

–प्रकरण प्रस्तुत।
–प्रकरण का अवलोकन किया।
–आवेदक राजेन्द्र कुमार देवांगन पिता स्व. तेरसराम देवांगन, निवासी– ग्राम उमरेली, तहसील– बरपाली, जिला–कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– उमरेली प.ह.नं.–16, तहसील बरपाली, जिला कोरबा में ख.नं.– 124, 1279/2 रकबा क्रमशः 0.202, 0.008 हे. भूमि पर कुल 130 नग सागौन वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल 130 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
–प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 15/10/2025 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार कुल –129 नग वृक्ष, जिसमें से शुष्क वृक्ष 2 नग सागौन प्रजाति एवं परिपक्व वृक्षों की संख्या 127 नग सागौन प्रजाति तथा 01 नग 20 से.मी. गोलाई के नीचे होने के कारण मार्किंग नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा कुल 129 नग सागौन वृक्ष को मौके में पाया गया जो प्ररूप –घ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।
–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।
–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित हैः–
(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,
(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

– कुल 129 नग वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में ''रोपण निधि'' के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 129 नग वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

–आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

–संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

राजेन्द्र कुमार देवांगन पिता स्व. तेरसराम,
निवासी– ग्राम उमरेली, प.ह.नं.–16
तहसील– बरपाली, जिला.–कोरबा,

विषयः– 129 नग सागौन वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

आवेदक राजेन्द्र कुमार देवांगन पिता स्व. तेरसराम देवांगन, निवासी– ग्राम उमरेली, तहसील– बरपाली, जिला–कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– उमरेली प.ह.नं.–16, तहसील बरपाली, जिला कोरबा में ख.नं.– 124, 1279/2 रकबा क्रमशः 0.202, 0.008 हे. भूमि पर कुल 130 नग सागौन वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल 130 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जॉच प्रतिवेदन राजस्व एवं वन विभाग से लिया गया।

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला, वनमण्डल कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमाक/649 करतला, दिनांक 15/10/2025 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर 02 नग शुष्क वृक्ष सागौन प्रजाति एवं परिपक्व वृक्षों की संख्या 127 नग सागौन प्रजाति तथा 1 नग 20 से.मी. गोलाई एवं कुल 129 नग सागौन वृक्ष काटने हेतु मौके पर पाया गया है। उक्त आवेदित सूखा एवं परिपक्व अवस्था में है। प्ररूप–घ में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त 129 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान करने की अुनशंसा की गई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, दिनांक 6 जुलाई 2023 संशोधन के अंतर्गत नियम 5 के पश्चात् ''नियम 5–क, किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना के लिए, भूमि के अर्जन करने अथवा भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने की दशा में, अपेक्षक निकाय, अर्जन के अधीन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान भूमिस्वामी को करने के पश्चात्, अर्जन के प्रयोजन के अनुसार वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।
नियम–5 ख, किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना/योजना के लिए, आबंटित विभाग/निकाय/संस्था, आबंटित भूमि पर अवस्थित वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।''

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

कुल 129 नग सागौन वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में ''रोपण निधि'' के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 129 नग सागौन वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग–कोरबा
कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क.....//अ.वि.अ.//वाचक//2025 कोरबा, दिनांक / /2025

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –करतला को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग–कोरबा
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)